न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **245/2017** दायर दिनाँक **02.12.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईलियास पुत्र उस्मान, कौम–व्यापारी (मुस्लिम), निवासी–अमरपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. याकुब पुत्र दीना, 2. अयुब पुत्र उस्मान, 3. सलाउदीन पुत्र उस्मान, 4. जाकिर पुत्र उस्मान, 5. गुलशनबानो पत्नी उस्मान, 6. फिजों पुत्री उस्मान, 7. अब्दुल जबार पुत्र जमाल, 8. फजलु पुत्र जमाल, 9. कालू पुत्र जमाल, 10. खदीजा पुत्री जमाल, 11. कुर्शेद पुत्री जमाल, 12. बलकेश पुत्री जमाल, 13. हसन पुत्री जमाल, 14. सरिफ पुत्री अब्दुल गफार, 15. सलीम पुत्र अब्दुल गफार, 16. रफीक पुत्र अब्दुल गफार, 17. अफसाना पुत्री अब्दुल गफार, 18. रूकसाना पुत्री अब्दुल गफार, 19. बतूल पत्नी अब्दुल गफार, समस्त,जाति–व्यापारी (मुस्लिम), निवासी–अमरपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. जमील पुत्र गफार, 21. मोहम्मद हुसैनी पुत्र अब्दुल गफार, जाति–देशवाली, निवासी–अमरपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–245/2017
दायर दिनाँक 02.12.2017, निर्णय दिनाँक 15.11.2017
ईलियास बनाम् याकुब, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री हकीम खान, वकील, वादी।
2. श्री तेजापाल राठी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 06, 07, 09 ता 12, 15 ता 17 व 19 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 15.11.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 तक एक ही परिवार से सम्बन्धित है तथा स्वर्गीय दीना के वारिशान् है। प्रतिवादी 20 व 21 ने प्रतिवादी एक याकुब से भूमि खरीद की है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 के खेत खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा, खेत खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा शरहद अमरपुरा में अवस्थित है।

वादी के दादा स्वर्गीय दीना के वारिशान् है तथा स्वर्गीय दीना के तीन पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा पुत्र जमाल, उससे छोटा उस्मान व सबसे छोटा पुत्र याकूब है जिसमें से जमाल व उस्मान फौत हो चुके है। अब वादी व प्रतिवादी एक से उन्नीस ही बतौर दीना के वारिशान् हैं।

वादी के दादा स्वर्गीय दीना ने अपने जीवन काल में ही उसने अपने पुत्रों को खेत खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा व खेत खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा शरहद अमरपुरा का बन्टवारा कर दिया था जिसके मुताबिक खेत खसरा 432/212 रकबा 26.10 बीघा में पश्चिमी हिस्सा 1/2 भाग अपने बड़े पुत्र जमाल को सुपुर्द कर दिया था व शेष 1/2 पूर्वी भाग उस्मान को सुपुर्द कर दिया था तथ खेत खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा छोटे पुत्र याकुब को सम्भला दिया था जिस पर तीनों पुत्र काबिज चले आ रहे हैं। जमाल व इकबाल के इन्तकाल के बाद उनके वारिशान् काबिज हैं।

वादी व प्रतिवादीगण का अपने–अपने हिस्से पर कब्जा है तथा खेत खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा जो याकुब के बन्ट में आया हुआ है जिसमें से प्रतिवादी संख्या याकुब ने प्रतिवादीगण संख्या 20 व 21 को अपने हिस्से से बैचाण की है। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 20 व 21 का खेत खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा में ही कब्जाकाश्त है।

वादी व प्रतिवादीगण के बीच वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा भौतक तौर पर हो चुका है परन्तु बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से न

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–245/2017
दायर दिनाँक 02.12.2017, निर्णय दिनाँक 15.11.2017
ईलियास बनाम् याकुब, वगैरा।

होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रार्थना वादी है कि–

खेत खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 याकुब व प्रतिवादीगण संख्या 20 व 21 के नाम व खेत खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा की खातेदारी वाद व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के इस रकबा का पूर्वी हिस्सा 1/2 भाग घोषित की जावे, शेष 1/2 भाग भूमि पश्चिमी हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 07 व 19 के नाम खातेदारी में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

खेत खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01 याकुब का नाम हटाया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विपक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा सम्वत् 2069–2072 खेवट संख्या 144/55 खसरा नम्बर 404/322 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा सम्वत् 2069–2072 खेवट संख्या 15/54 खसरा नम्बर 432/212 की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/03/193/0312330 निर्वाचक का नाम इलियास की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या JHS/1506344 निर्वाचक का नाम सलाउदीन की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/25/194/291141 निर्वाचक का नाम हफीजन की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/03/193/0609254 निर्वाचक का नाम खतीजा बानो की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/25/194/291197 निर्वाचक का नाम मकसुदा की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/25/194/273055 निर्वाचक का नाम बिलकेश बेगम की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या JHS/1349794 निर्वाचक का नाम अफशाना बानो की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या AZB/0009779 निर्वाचक का नाम मो0 रफीक की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या JHS/1238914 निर्वाचक का नाम बतूल की छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र संख्या RJ/03/193/0312327 निर्वाचक का नाम जबार की छायाप्रति, पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04, 05, 08, 13, 14, 18, 20 ता 22 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 06, 07, 09 ता 12, 15 ता 17 व 19 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 06, 07, 09 ता 12, 15 ता 17 व 19 की ओर से पेश राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढ़कर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव व लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री हकीम खान ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री तेजपाल राठी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के अनुसार–

खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 याकुब व प्रतिवादी संख्या 20 जमील, व प्रतिवादी संख्या 21 मो0 हुसैन के घोषित की जावे तथा खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा में से पूर्वी 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के घोषित की जावे व शेष 1/2 भाग पश्चिमी हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 19 के घोषित की जावे।

खेत खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01 याकुब का नाम हटाया जावे।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। अधिवक्तागण पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। राजीनामा पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में, पक्षकारान्, खातेदारी चाहते हैं। वाद में किसी पक्षकार द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर, शरहद अमरपुरा में, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 याकुब व प्रतिवादी संख्या 20 जमील, व प्रतिवादी संख्या 21 मो0 हुसैन को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा में से पूर्वी 1/2 हिस्सा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस खसरे की शेष पश्चिमी 1/2 भाग भूमि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–245/2017
दायर दिनाँक 02.12.2017, निणर्य दिनाँक 15.11.2017
ईलियास बनाम् याकुब, वगैरा।

का प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 19 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खेत खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 01 याकुब का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **15.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **245/2014** दायर दिनाँक **02.12.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ईलियास पुत्र उस्मान, कौम–व्यापारी (मुस्लिम), निवासी–अमरपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. याकुब पुत्र दीना, 2. अयुब पुत्र उस्मान, 3. सलाउदीन पुत्र उस्मान, 4. जाकिर पुत्र उस्मान, 5. गुलशनबानो पत्नी उस्मान, 6. फिजों पुत्री उस्मान, 7. अब्दुल जबार पुत्र जमाल, 8. फजलु पुत्र जमाल, 9. कालू पुत्र जमाल, 10. खदीजा पुत्री जमाल, 11. कुर्शेद पुत्री जमाल, 12. बलकेश पुत्री जमाल, 13. हसन पुत्री जमाल, 14. सरिफ पुत्री अब्दुल गफार, 15. सलीम पुत्र अब्दुल गफार, 16. रफीक पुत्र अब्दुल गफार, 17. अफसाना पुत्री अब्दुल गफार, 18. रूकसाना पुत्री अब्दुल गफार, 19. बतूल पत्नी अब्दुल गफार, समस्त,जाति–व्यापारी (मुस्लिम), निवासी–अमरपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20. जमील पुत्र गफार, 21. मोहम्मद हुसैनी पुत्र अब्दुल गफार, जाति–देशवाली, निवासी–अमरपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाँक **15.11.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हकीम खान, वकील, वादी व श्री तेजापाल राठी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 06, 07, 09 ता 12, 15 ता 17 व 19 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर, शरहद अमरपुरा में, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 404/322 रकबा 08.06 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 याकुब व प्रतिवादी संख्या 20 जमील, व प्रतिवादी संख्या 21 मो0 हुसैन को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा में से पूर्वी 1/2 हिस्सा का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस खसरे की शेष पश्चिमी 1/2 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 19 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खेत खसरा नम्बर 432/212 रकबा 26.10 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी संख्या 01 याकुब का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................ .....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.11.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner